GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF DEFENCE
DEPARTMENT OF EX-SERVICEMEN WELFARE
LOK SABHA
STARRED QUESTION NO. 23
TO BE ANSWERED ON 03rd February, 2023

WELFARE SCHEMES FOR EX-SERVICEMEN AND THEIR DEPENDENTS

*23. SHRI OMPRAKASH BHUPALSINH ALIAS PAWAN RAJENIMBALKAR:
SHRI SANJAY JADHAV:

Will the Minister of DEFENCE be pleased to state:

(a) the details of the schemes being implementedfor the welfare of Ex-servicemen, their widows and children in the country, State/UT-wise including Maharashtra;

(b) whether the Government has any plans to setup CSD canteen for the welfare of the widows of Ex-servicemen, residential facilities for children, Ex-servicemen Contributory Health Scheme (ECHS) and Pre-recruitment training centre for the children and old age homes for Ex-servicemen in various States including Osmanabad district of Maharashtra, if so, the details thereof;

(c) whether the Government of Maharashtra hassent proposals to the Union Government in this regard, if so, the details and the status thereof;

(d) whether the proposals for transfer of landfor setting up hospitals under Ex-servicemen Contributory Health Scheme (ECHS) in various districts of Maharashtra including Osmanabad are pending with the Union Government for approval, if so, the details thereof; and

(e) the details of funds allocated for the saidpurpose and the time by which the hospitals are likely to be constructed in such districts?

A N S W E R

MINISTER OF DEFENCE (SHRI RAJNATH SINGH)

(a) to (e): A statement is laid on the Table of the House.

*****

https://www.staffnews.in

STATEMENT REFERRED TO IN REPLY TO PARTS (a) to (e) OF THE LOK SABHA STARRED QUESTION No. 23 FOR ANSWER ON 03.02.2023 REGARDING "WELFARE SCHEMES FOR EX-SERVICEMEN AND THEIR DEPENDENTS".

(a): The details of welfare and resettlement schemes being implemented for the welfare of Ex-servicemen, their widows and children in the country including Maharashtra by Kendriya Sainik Board and Directorate General of Resettlement respectively are placed at Annexure.

(b): The point-wise reply to the issues raised is as under:

i. CSD canteen: Unit Run Canteens (URCs) are established for the welfare of Serving & Retired CSD beneficiaries by local military authorities on the basis of strength of CSD beneficiaries, financial viability and proximity to existing URCs. There are approximately 3500 URCs all over the country. Presently, no proposal for opening of new URC in Maharashtra has been received.

ii. Residential facilities for children: There is no plan to set up residential facilities for children of Ex-servicemen.

iii. New ECHS: The requirement of new polyclinics as also dependency of ESM on various polyclinics is reviewed from time to time for opening new Polyclinics or upgrading/downgrading existing polyclinics. A Total of 29 ECHS Polyclinics are functioning in the state of Maharashtra out of which one Type D Polyclinic is already functional at Osmanabad. No decision for opening of new polyclinic in Maharashtra has been taken.

iv. Pre recruitment training: Directorate General of Resettlement facilitates training programmes for Ex-Servicemen (ESM) only to prepare them to take on new assignments/jobs and assisting ESM in finding new employment. No such plan is under consideration for providing pre recruitment training to the children of ESM.

v. Old age home:No such plan is under consideration to establish old age home for ESM.

(c): No proposal has been received from the Government of Maharashtra.

(d): No such proposal is pending.

(e): Does not arise.

*****

https://www.staffnews.in

ANNEXURE REFERRED TO IN REPLY TO PART (a) OF THE LOK SABHA STARRED QUESTION No. 23 FOR ANSWER ON 03.02.2023 REGARDING "WELFARE SCHEMES FOR EX-SERVICEMEN AND THEIR DEPENDENTS".

DETAILS OF VARIOUS WELFARE SCHEMES PROVIDED BY KENDRIYA SAINIK BOARD

1. Benefits given from Armed Forces Flag Day Fund :-

Sl. No.	Grants	Amount(in Rs)
(a)	Penury Grant (65 Yrs and above) (Applicable to Non-Pensioners ESM upto Hav Rank)	Rs 4,000/-pm
(b)	Education Grant (upto two children) (i) Boys/Girls upto Graduation (ii) Widows for PG (Pensioner/Non Pensioner ESM upto Hav Rank)	Rs 1,000/-pm
(c)	Disabled Children Grant (Applicable to 100% disabled wards of Pensioner/Non-pensioner ESM upto JCOs Rank)	Rs 3,000/-pm
(d)	Daughter's Marriage Grant (upto two daughters) Applicable to daughters of Pensioner/Non-Pensioner ESM upto Hav Rank) Widow Re-Marriage Grant (Applicable to Widows of Pensioner/Non-Pensioner ESM upto Hav Rank)	Rs 50,000/-
(e)	Medical Treatment Grant (Applicable to Non-pensioner ESM upto Hav Rank and his dependents)	Rs 30,000/- (Max)
(f)	Orphan Grant (Applicable to Orphans of Pensioner/Non-pen ESM All Ranks) • Daughters of ex-servicemen till she is married. • One Son of ex-servicemen upto 21 years of age.	Rs 3,000/-PM
(g)	Vocational Trg Grant for Widows (Applicable to Widows of Pensioner/Non-Pensioner ESM upto Hav Rank)	Rs 20,000/- (One Time)

2. Modified Scooter Grant. Rupees 1,00,000/- is provided to those ESM, who are disabled after service with a disability of 50% or more and who are not covered under the scheme of AG's Branch of IHQ (Army, Navy & Air Force).

3. Serious diseases Grant from AFFD Fund to Non Pensioners ESM of all Ranks :-

…2/-

https://www.staffnews.in

(a)	Serious Diseases as listed below: - Angioplasty,Angiography, CABG, Open Heart Surgery, Valve Replacement, Pacemaker Implant, Renal Implant, Prostate Surgery, Joint Replacement and Cerebral Stoke. Other Diseases: Where more than Rs. 1.00 Lac has been spent on treatment	75% and 90% of total expenditure to Officer and Personnel Below Officer Rank (PBOR) respectively Upto Rs. 1.25 Lac (max)
(b)	Dialysis and Cancer treatment (For Non- Pensioners ESM of all ranks)	75% and 90% of total expenditure to Officer and PBOR, respectively Upto a max of Rs. 75,000/- per FYonly.

4. Subsidy on Home Loan on Rs 1,00.000/-(Max):Kendriya Sainik Board reimburses 50% of interest by way of subsidy on home loan from Bank/Public Sector institutions for construction of house to war bereaved, war disabled and attributable peace time casualties.

5. Prime Minister's Scholarship Scheme: For financially supporting degree level professional education for the wards of War widows (all ranks) and ESM (PBOR) including ex Coast Guard personnel. Total 5500 scholarships are provided to eligible wards based on merit for the entire duration of the courses. Priority is given to the wards of War widows/War disabled Soldiers. The rates of Scholarship are as follows: -

(a) Rs. 2500/- per month for boys.
(b) Rs. 3000/- per month for girls.

6. Financial support to institutions involved in rehabilitation of ESM :-

Sl. No.	Organisation	Quantum of Aid/Grant
(a)	Paraplegic Rehabilitation Centers (i) Kirkee (ii) Mohali	Establishment grant (per annum) (i) Rs 1.20 cr (wef April, 2016) (ii)Rs 10,00,000/- (wef Apr 2015) Rs. 30,000/- per annum per inmate
(b)	All India Gorkha Ex-servicemen welfare association, Dehradun	Rs. 12,00,000/- per annum
(c)	Cheshire Homes (i) Lucknow, Delhi & Dehradun	Rs 15,000/- per annum per inmate

…3/-

https://www.staffnews.in

(d)	War Memorial Hostels. There are 36 WMHs which provide shelter to the children of War Widows/War disabled, attributable and non attributable cases.	Rs 1350/- per month

7. Reservation of seats in Medical/Dental Colleges for wards of Defence Personnel as Government of India Nominee. A total of 42 MBBS seats and 3 seats in BDS courses are allotted by Ministry of Health& Family Welfare to KSB for wards of defence personnel as a Government of India nominee.

DETAILS OF VARIOUS RESETTLEMENTSCHEMES IMPLEMENTED BY DIRECTORATE GENERAL RESETTLEMENT (DGR)

a) Upgrading their skills by imparting necessary training to prepare them to take on new assignments/jobs and assisting ESM in finding re-employment.
b) Constant endeavour to provide employment opportunities in Government/Quasi Government/Public Sector Organizations.
c) Pro-active action to facilitate re-employment of ESM in the Corporate Sector.
d) Providing Jobs through the following Schemes for self-employment.

i. Placement Assistance through on-line registration at DGR.
ii. DGR Sponsored Security Agency Scheme
iii. ESM Coal Loading and Transportation Scheme.
iv. Coal Tipper Attachment Scheme.
v. Tipper Attachment Scheme for Widows and Disabled Soldiers.
vi. Management of IGL/ MNGL CNG Stations by ESM in NCR/Pune.
vii. Management of Company Owned Company Operated Retail Outlets.
viii. Issue of DGR Eligibility Certificate for Allotment of LPG/Retail Outlet (Petrol/Diesel) Distributorship advertised by Oil Marketing Companies against 8% Reservation Quota.
ix. Allotment of Mother Dairy Milk Booths and Fruit & Vegetable (Safal) Shops in NCR.
x. DGR Technical Service Scheme.
xi. Resettlement Training/ Skill Development Courses.

*****

https://www.staffnews.in

भारत सरकार
रक्षा मंत्रालय
भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग
लोक सभा
तारांकित प्रश्न संख्या 23
03 फरवरी, 2023 को उत्तर के लिए

भूतपूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों हेतु कल्याणकारी योजनाएं

*23. श्री ओम पवन राजेनिंबालकर :
श्री संजय जाधव :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में भूतपूर्व सैनिकों, उनकी विधवाओं और उनके बच्चों के कल्याण के लिए कार्यान्वित की जा रही योजनाओं का महाराष्ट्र सहित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार की महाराष्ट्र के उस्मानाबाद जिले सहित विभिन्न राज्यों में भूतपूर्व सैनिकों की विधवाओं के कल्याण हेतु सीएसडी कैंटीन, बच्चों के लिए आवासीय सुविधाओं, भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना (ईसीएचएस) और भूतपूर्व सैनिकों के बच्चों के लिए भर्ती-पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र तथा इन सैनिकों हेतु वृद्धाश्रमों की स्थापना करने की कोई योजना है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या महाराष्ट्र सरकार ने इस संबंध में केन्द्र सरकार को प्रस्ताव भेजे हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और स्थिति क्या है;

(घ) क्या उस्मानाबाद सहित महाराष्ट्र के विभिन्न जिलों में भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना (ईसीएचएस) के तहत अस्पतालों की स्थापना के लिए भूमि के हस्तांतरण संबंधी प्रस्ताव केन्द्र सरकार के पास अनुमोदन के लिए लंबित हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उक्त प्रयोजन के लिए आबंटित धनराशि का ब्यौरा क्या है और ऐसे जिलों मे अस्पताल कब तक निर्मित किए जाने की संभावना है?

उत्तर
रक्षा मंत्री (श्री राजनाथ सिंह)

(क) से (ङ): एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

https://www.staffnews.in

'भूतपूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों हेतु कल्याणकारी योजनाएं' के बारे में दिनांक 03.02.2023 को उत्तर देने के लिए लोक सभा तारांकित प्रश्न सं. 23 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) भूतपूर्व सैनिकों, उनकी विधवाओं एवं बच्चों के कल्याण के लिए महाराष्ट्र सहित देश में क्रमश: केन्द्रीय सैनिक बोर्ड और पुनर्वास महानिदेशालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही कल्याण एवं पुनर्वास योजनाओं का ब्यौरा **अनुबंध** पर दिया है ।

(ख) उठाए गए मुद्दों के लिए मदवार उत्तर निम्नलिखित है:

i. **सीएसडी कैंटीन:** सीएसडी लाभार्थियों की संख्या, वित्तीय व्यवहार्यता और मौजूदा यूआरसी से निकटता के आधार पर स्थानीय सैन्य प्राधिकरणों द्वारा सेवारत और सेवानिवृत्त सीएसडी लाभार्थियों के कल्याण के लिए यूनिट संचालित कैंटिनों (यूआरसी) की स्थापना की गई है। सम्पूर्ण देश में लगभग 3500 यूआरसी हैं। वर्तमान में महाराष्ट्र में नई यूआरसी खोलने के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त नही हुआ है।

ii. **बच्चों के लिए आवासीय सुविधाएं:** भूतपूर्व सैनिकों के बच्चों के लिए आवासीय सुविधाओं की स्थापना के लिए कोई योजना नहीं है।

iii. **नई ईसीएचएस:** विभिन्न पाली क्लिनिकों पर ईएसएम की निर्भरता के साथ नए पालिक्लिनिक खोलने की आवश्यकता की नए पालिक्लिनिक खोलने अथवा मौजूदा पालिक्लिनिकों के उन्नयन/डाउनग्रेडिंग के लिए समय-समय पर समीक्षा की जाती है। महाराष्ट्र राज्य में कुल 29 ईसी एचएस पालिक्लिनिक कार्य कर रहे हैं जिसमें से एक टाइप डी पालिक्लिनिक उस्मानाबाद में पहले से ही कार्यरत है। महाराष्ट्र में नया पालिक्लिनिक खोलने के लिए कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

iv. **भर्ती पूर्व प्रशिक्षण:** पुनर्वास महानिदेशालय भूतपूर्व सैनिकों (ईसीएम) के लिए भर्ती कार्यक्रमों की सुविधा प्रदान करता है जिसका उद्देश्य नई नियुक्ति/रोजगार के लिए उन्हें तैयार करना और नए रोजगार प्राप्त करने में ईएसएम को सहायता प्रदान करना है। ईएसडब्ल्यू के बच्चों को भर्ती पूर्व प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए कोई योजना विचाराधीन नहीं है।

v. **वृद्धावस्था आवास:** ईएसडब्ल्यू के लिए वृद्धावस्था आवास स्थापित करने के लिए इस प्रकार का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ग) महाराष्ट्र सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(घ) इस प्रकार का कोई प्रस्ताव लंबित नहीं है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

https://www.staffnews.in

'भूतपूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों हेतु कल्याणकारी योजनाएं' के बारे में दिनांक 03.02.2023 को उत्तर देने के लिए लोक सभा तारांकित प्रश्न सं. 23 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

केंद्रीय सैनिक बोर्ड द्वारा प्रदान की जाने वाली विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का विवरण

1. सशस्त्र बल झंडा दिवस निधि में से दिए जाने वाले लाभ :-

क्र.सं.	अनुदान	राशि (रुपए में)
(क)	**पेन्युरी अनुदान (65 वर्ष और उसके ऊपर)** (हवलदार रैंक तक के गैर-पेंशनभोगी ईएसएम पर लागू)	4,000/-रु. प्रतिमाह
(ख)	**शिक्षा अनुदान (दो बच्चों तक)** (i) लड़का/लड़की को स्नातक तक (ii) परास्नातक तक विधवाओं के लिए (हवलदार रैंक तक के पेंशनभोगी/गैर- पेंशनभोगी ईएसएम)	1,000/-रु. प्रतिमाह
(ग)	**दिव्यांग बाल अनुदान** (जेसीओ रैंक तक के पेंशनभोगी/गैर- पेंशनभोगी ईएसएम के 100% दिव्यांग बच्चों के लिए लागू)	3,000/-रु. प्रतिमाह
(घ)	**पुत्री के विवाह हेतु अनुदान** (02 पुत्रियों तक) (हवलदार रैंक तक के पेंशनभोगी/गैर- पेंशनभोगी ईएसएम की पुत्रियों के लिए लागू)	50,000/-रु.
	विधवा पुनर्विवाह अनुदान (हवलदार रैंक तक के पेंशनभोगी /गैर- पेंशनभोगी ईएसएम की विधवाओं के लिए लागू)	
(ङ)	**चिकित्सा उपचार अनुदान** (हवलदार रैंक तक के पेंशनभोगी /गैर- पेंशनभोगी ईएसएम और उनके आश्रितों के लिए लागू)	30,000/-रु. (अधिकतम)
(च)	**अनाथ अनुदान** (सभी रैंकों के पेंशनभागो/गैर- पेंशनभोगी ईएसएम के अनाथ बच्चों के लिए लागू) • भूतपूर्व सैनिकों की पुत्रियों को विवाह होने तक। • भूतपूर्व सैनिकों के एक पुत्र को 21 वर्ष की आयु तक।	3,000/-रु. प्रतिमाह
(छ)	**विधवाओं हेतु व्यावसायिक प्रशिक्षण अनुदान** (हवलदार रैंक तक के पेंशनभोगी/गैर- पेंशनभोगी ईएसएम की विधवाओं के लिए लागू)	20,000/-रु. (एकबारगी)

https://www.staffnews.in

2. **संशोधित स्कूटर अनुदान –** एक लाख रूपए उन भूतपूर्व सैनिको को प्रदान किए जाते है, जो सेवा के पश्चात् 50% या अधिक दिव्यांग हैं और जो एकीकृत मुख्यालय (सेना, नौसेना और वायुसेना) की एजी शाखा की योजना के तहत कवर नहीं होते हैं।

3. **सभी रैंकों के गैर-पेंशनभोगी भूतपूर्व सैनिकों को एएफएफडी कोष से गंभीर रोग अनुदान:-**

(क)	निम्नानुसार सूचीबद्ध किए गए गंभीर रोग:- एंजियोप्लास्टी, एंजियोग्राफी, सीएबीजी, ओपन हार्ट सर्जरी, वाल्व रिप्लेसमेंट, पेसमेकर इंप्लांट, रीनल इंप्लांट, प्रोस्टेट सर्जरी, ज्वाइंट रिप्लेसमेंट और सेरेब्रल स्ट्रोक अन्य रोग: जहां उपचार पर 1.00 लाख रुपए से अधिक खर्च किए गए हों।	**अधिकारियों और पीबीओआर के लिए कुल व्यय का क्रमशः 75% और 90%।** **1.25 लाख रुपए तक (अधिकतम)**
(ख)	डायलिसिस और कैंसर उपचार (सभी रैंको के गैर-पेंशभोगी ईएसएम के लिए)	**अधिकारियों और पीबीओआर के लिए कुल व्यय का क्रमशः 75% और 90%।** **प्रत्येक वित्तीय वर्ष में अधिकतम 75,000/-रु. मात्र तक**

4. **1,00,000/- रुपए (अधिकतम) के आवास ऋण पर सहायता राशि -** युद्ध दिवंगत, युद्ध दिव्यांगों और शांतिकाल के दौरान हताहतों को गृह निर्माण के लिए बैंकों/सार्वजनिक क्षेत्र संस्थानों से लिए गए आवास ऋण पर सहायता राशि प्रदान करते हुए 50% ब्याज का पुनर्भुगतान केंद्रीय सैनिक बोर्ड द्वारा किया जाता है।।

5. **प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति योजना –** युद्ध विधवाओं (सभी रैंकों) और भूतपूर्व तटरक्षक कार्मिकों सहित ईएसएम (पीबीओआर) के बच्चों को डिग्री स्तरीय पेशेवर शिक्षा हेतु वित्तीय सहायता देने के लिए पाठ्यक्रमों की संपूर्ण अवधि के दौरान पात्र बच्चों को मेरिट पर आधारित कुल 5500 छात्रवृत्तियां प्रदान की जाती हैं। युद्ध विधवाओं/युद्ध निशक्त सैनिकों के बच्चों को प्राथमिकता प्रदान की जाती है। छात्रवृत्ति की दरें निम्नानुसार हैं:-

(क) लड़कों के लिए 2500/-रु. प्रतिमाह।

(ख) लड़कियों के लिए 3000/-रु. प्रतिमाह।

6. भूतपूर्व सैनिकों के पुनर्वास में सम्मिलित संस्थानों को वित्तीय सहायता:-

क्र.सं.	संगठन	सहायता/अनुदान की मात्रा
(क)	**पैराप्लेजिक पुनर्वास केंद्र** (i) किरकी (ii) मोहाली	**स्थापना अनुदान (प्रतिवर्ष)** (i) 1.20 करोड़ रुपए (अप्रैल 2016 से प्रभावी) (ii) 10,00,000/-रु. (अप्रैल 2015 से प्रभावी) } 30,000/-रु. प्रतिवर्ष प्रति निवासी
(ख)	अखिल भारतीय गोरखा भूतपूर्व सैनिक कल्याण संगठन, देहरादून	12,00,000/-रु. प्रतिवर्ष
(ग)	**चेशर होम्स** (i) लखनऊ, दिल्ली और देहरादून	15,000/-रु. प्रतिवर्ष प्रति निवासी
(घ)	**युद्ध स्मारक हॉस्टल** 36 युद्ध स्मारक हॉस्टल हैं जो शहीदों की विधवाओं/युद्ध दिव्यांगों के बच्चों, संबद्ध और गैर संबद्ध मामलों में आश्रय प्रदान करते हैं।	1350/-रु. प्रतिमाह

7. **भारत सरकार के नामिति के तौर पर रक्षा कार्मिकों के बच्चों हेतु चिकित्सा/दंत चिकित्सा कालेजों में सीटों का आरक्षण:-** स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा केएसबी को भारत सरकार के नामिति के तौर पर रक्षा कार्मिकों के बच्चों के लिए कुल 42 एमबीबीएस सीटें और बीडीएस पाठ्यक्रम की 3 सीटें आबंटित की गई हैं।

पुनर्वास महानिदेशालय (डीजीआर) के द्वारा कार्यान्वित विभिन्न पुनर्वास योजनाओं का ब्यौरा:-

(क) नए कामकाज/कार्यों को करने के लिए तैयार करने हेतु आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान करके भूतपूर्व सैनिकों के कौशल का उन्नयन करना और पुनः नियोजन को तलाशने में भूतपूर्व सैनिकों की सहायता करना।

(ख) सरकारी/अर्ध-सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्र के संगठनों में रोजगार अवसर प्रदान करने के लिए निरंतर प्रयास करना।

(ग) कारपोरेट क्षेत्र में भूतपूर्व सैनिकों के पुनः नियोजन की सुविधा के लिए सक्रिय कार्रवाई करना।

(घ) स्व रोजगार के लिए निम्नलिखित योजनाओं के माध्यम से नौकरियां प्रदान करना:-

(i) डीजीआर में आनलाइन पंजीकरण के माध्यम से प्लेसमेंट सहायता।

(ii) डीजीआर प्रायोजित सुरक्षा एजेंसी योजना।

(iii) ईएसएम कोयला लदान एवं परिवहन योजना।

(iv) कोयला टिपर संबद्धता योजना।

(v) विधवाओं एवं निशक्त सैनिकों के लिए टिपर संबद्धता योजना।

(vi) एनसीआर/पूणे में ईएसएम द्वारा आईजीएल/एमएनजीएल सीएनजी स्टेशनों का प्रबंधन।

(vii) कंपनी के स्वामित्व में कंपनी संचालित रिटेल आउटलेट्स का प्रबंधन।

(viii) 8% आरक्षण कोटा के सम्मुख आयल मार्केटिंग कंपनियों द्वारा विज्ञापित एलपीजी/रिटेल। आउटलेट (पेट्रोल/डीजल) के आबंटन के लिए डीजीआर पात्रता प्रमाण पत्र जारी करना।

(ix) एनसीआर में मदर डेयरी बूथ और फल एवं सब्जी (सफल) शाप्स का आबंटन।

(x) डीजीआर तकनीकी सर्विस योजना।

(xi) पुनर्वास प्रशिक्षण/कौशल विकास पाठ्यक्रम।

****